

22/1/22


पञ्जवली पेशा हुई । वकील वकील अपरिचित

~~किसी~~

है । अर्जिशी सं. 01 व 02 की आर

मेरी आराजी से
दोड़कर विद्युत
लाइन रास्ते में
से फेंकाई जाती
है जो अपने
कोई आपत्ति
नहीं है


से एडो इशरल जिन द्वारा जवाब
प्राप्त का उद्देश्य किता उपा को
समिति निशान है । पञ्जवली दिनांक 09/03/22
की पेशा हो ।


अपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

अर्जिशी सं. 09/03/22 आज पतावली प्रशासन विद्युत लाइन उपर आये ।

अर्जिशी सं. 1, 2 एवं वकील वकील ने अर्जिशी
निषेधाज्ञा वाक्य अपनी सम्मति दी । स्वीकार की
जकार । विवाचित आराजी में से प्रार्थी की आराजी को
दोड़कर विद्युत लाइन रास्ते में से फेंकाई जाती है तो
प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः वकील प्रार्थी
व वकील अपरार्थी की सहमति अनुसार प्रार्थी की
विवाचित आराजी को दोड़ते हुए विद्युत लाइन रास्ते में
से रोकनी जावे वकील प्रार्थी व वकील अपरार्थी की
सहमति सुनी गयी । सहमति स्वरूप वकील पक्षो द्वारा
पतावली करवाये गयी । पतावली इसी स्तर पर
जाप की जाती है । पतावली के मूल नुमांर ही क्रमिक
संक्रमण । संक्रमण मूल नुमांर है । सुमांया गया ।




अपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०